न्यायालय – अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम–2
जयपुर महानगर–द्वितीय (राज0)

पीठासीन अधिकारी ::: अर्चना गुप्ता,
आर.जे.एस.

मूल दीवानी वाद संख्या–77/2021 (सीआईएस–1353/2021)

श्री करणी पाल मिनल्स एण्ड कैमिकल्स प्रोपराईटर भंवर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पता फतेह निवास, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. रामकुमार गोदारा प्रोपराईटर राम कुमार गोदारा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लार्य, पता 6/183, आर.एच.बी. कालोनी, हनुमानगढ़ राज0।
2. राम कुमार गोदारा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लार्य, पता 6/183, आर.एच.बी. कालोनी, हनुमानगढ़ राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा राशि 4,04,882/–रूपये वसूली बाबत

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम सिंह शेखावत, विद्वान अधिवक्ता–वादी
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांक : 06.12.2021**

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी फर्म एच.डी. पी.ई. पाईप व अन्य सामान का व्यापार करती है। प्रतिवादी द्वारा वादी फर्म से जरिये बिल इन्वाईस संख्या–34 दिनांक 04.08.2018 राशि 4,97,707/–रूपये का माल उधार क्रय किया, जिसमें से उक्त माल पेटे प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.07.2018 को 1,00,000/–रूपये एवम् दिनांक 23.07.2018 को 1,00,000/–रूपये कुल 2,00,000/–रूपये अदा कर दिये व शेष राशि 2,97,707/–रूपये का भुगतान प्रतिवादीगण ने जल्द ही करने का आश्वासन दिया। वादी फर्म द्वारा समय–समय पर प्रतिवादीगण से रकम की अदायगी बाबत तलब, तकाजा किया जाता रहा किन्तु प्रतिवादीगण ने बकाया राशि की अदायगी नहीं की व टाल मटोल करता रहा। वादी को उक्त राशि मय ब्याज अदा करने हेतु प्रतिवादीगण की विधिक जिम्मेदारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पूर्व में कई मर्तबा

सम्पर्क कर समझाईस कर उक्त राशि अदा करने हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे। वादी द्वारा अधिवक्ता के जरिये प्रतिवादी को एक नोटिस दिनांक 08.10.2020 प्रेषित किया। उक्त नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया व ना ही आज दिनांक तक उक्त राशि का भुगतान किया गया। अन्त में वादपत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का बताते हुए अंदर मियाद व वाद पूर्ण न्याय शुल्क पर बताते हुए वादी का वाद वसूली राशि 2,97,707/–रूपये व वाद दायरी से पूर्व वसूली राशि पर 12प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज 1,07,715/–रूपये कुल 4,04,882/–रूपये की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण की तामीलात हेतु रजिस्टर्ड रसीद पेश की गयी, प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 30.09.2021 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य में गवाह पी0डब्ल्यू–1 भंवर सिंह की साक्ष्य लेखबद्व कराई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 बिल इन्वाईस संख्या–34 दिनांक 04.08.2018, प्रदर्श–2 विधिक नोटिस व प्रदर्श–3 रजिस्ट्री रसीद प्रदर्शित करायी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि :–

> आया वादी फर्म, प्रतिवादीगण को उधार किये गये माल पेटे बकाया राशि 2,97,707/–रूपये व बकाया राशि पर 12प्रतिशत वार्षिक दर से राशि 1,07,175/–रूपये ब्याज कुल 4,04,882/–रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू–1 भंवर सिंह, जो कि वादी फर्म का प्रोपराईटर है, ने कथन किया है कि वादी फर्म से प्रतिवादीगण द्वारा बिल इन्वाईस संख्या–34 दिनांक 04.08.2018 राशि 4,97,707/–रूपये का माल उधार क्रय किया था जिसमें से उक्त माल पेटे प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.07.2018

को 1,00,000/–रूपये एवम् दिनांक 23.07.2018 को 1,00,000/–रूपये कुल 2,00,000/–रूपये अदा किये गये हैं। प्रतिवादीगण ने शेष राशि 2,97,707/–रूपये का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया। परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी फर्म द्वारा समय–समय पर रकम की अदायगी के लिए तलब, तकाजा करने के उपरांत भी बकाया राशि की अदा नहीं की है। प्रतिवादीगण उक्त राशि देने के लिए टाल–मटोल करता रहा। वादी को उक्त राशि मय ब्याज अदा करने की प्रतिवादीगण की विधिक जिम्मेदारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर समझाईस की व उक्त राशि अदा करने हेतु निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त बकाया राशि की अदायगी नहीं की। जिसके कारण साक्षी ने जरिये अधिवक्ता प्रतिवादी को नोटिस दिनांक 08.10.2020 प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी प्रतिवादी ने ना तो नोटिस का जवाब दिया व ना ही आज दिनांक तक उक्त राशि का भुगतान ही किया गया है, जो राशि वादी, प्रतिवादीगण से प्राप्त का अधिकारी है। साक्षी ने अपने उक्त मौखिक साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्श–1 बिल इन्वाईस संख्या–34 दिनांक 04.08.2018, प्रदर्श–2 विधिक नोटिस, प्रदर्श–3 रजिस्ट्री रसीद प्रदर्शित करायी। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने से, गवाह से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

इस प्रकार वादी फर्म द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी फर्म से प्रतिवादीगण द्वारा बिल इन्वाईस संख्या–34 दिनांक 04.08.2018 राशि 4,97,707/–रूपये का माल उधार क्रय किया था जिसमें से उक्त माल पेटे प्रतिवादीगण द्वारा राशि 2,00,000/–रूपये अदा किये जा चुके हैं। प्रतिवादीगण ने शेष राशि 2,97,707/–रूपये का भुगतान शीघ्र करने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद वादी फर्म द्वारा समय–समय पर रकम की अदायगी के लिए तलब, तकाजा करने के बावजूद राशि अदा नहीं की गयी। इस पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रतिवादी को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई राशि अदा नहीं की गयी है। उक्त साक्षी ने अपने उक्त

मौखिक साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्श–1 बिल इन्वाईस संख्या–34 व प्रदर्श–2 विधिक नोटिस दिया गया। अतः वादी की उक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी फर्म, प्रतिवादीगण से प्रदर्श–1 बिल राशि पेटे बकाया राशि 2,97,707/–रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

प्रतिवादीगण की तरफ बिल पेटे बकाया राशि 2,97,707/–रूपये पर वाद दायरी से ता–वसूली तक 12प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र मत है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है तथा ना ही ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है, अतः वादी अधिवक्ता का उक्त तर्क सारहीन है।

जहां तक प्रतिवादीगण की तरफ बकाया रही राशि 2,97,707/–रूपये पर बिल जारी करने की तिथि से 12प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि 1,07,175/–रूपये की अदायगी का प्रश्न है तो वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई लिखत व मौखिक शर्त तय होने के सन्दर्भ में वादी द्वारा अपने वादपत्र व साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है तथा ना ही न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रदर्शित कराया गया है। अतः वादी, प्रतिवादीगण से दावा दायरी से पूर्व बकाया राशि पर 12प्रतिशत की दर से ब्याज राशि 1,07,175/–रूपये प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त समग्र विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी फर्म, प्रतिवादीगण से माल पेटे बकाया राशि 2,97,707/–रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी पायी जाती है। अतः वादी का वाद आंशिक रूप से आदेशानुसार निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

परिणामतः वादी श्री करणी पाल मिनल्स एण्ड कैमिकल्स प्रोपराईटर भंवर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पता फतेह निवास, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या–1. रामकुमार गोदारा प्रोपराईटर राम कुमार गोदारा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लार्य व प्रतिवादी संख्या–2 राम कुमार गोदारा कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लार्य, पता

6/183, आर.एच.बी. कालोनी, हनुमानगढ़ राज0 का आंशिक रूप से राशि 2,97,707/–रूपये सव्यय एकपक्षीय डिक्री किया जाता है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वादी फर्म, प्रतिवादीगण से उक्त डिक्रीशुदा राशि पर निर्णय की दिनांक से ता–वसूली 6प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

डिक्री पर्चा नियमानुसार मुर्तिब हो।

(अर्चना गुप्ता)
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम–2,
जयपुर महानगर–द्वितीय

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया।

(अर्चना गुप्ता)
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम–2,
जयपुर महानगर–द्वितीय